न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2625–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–8–15 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, प्रकरण कमांक 01/अ–13/2014–15.

—

1–श्रीमती कृष्णाबाई पत्नी गणेश
2–चंदू पुत्र गणेश
निवासीगण छनेरा तहसील हरसूद
जिला खण्डवा म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती भारती पत्नी श्री सतीश जैन
निवासी ग्राम छनेरा तहसील हरसूद
जिला खण्डवा म0प्र0

.....अनावेदिका

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 9/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील हरसूद जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश 4–8–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार हरसूद जिला खण्डवा के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सडियापानी पु.आ. स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर कमशः

304/1, 304/2, 304/3 कुल रकबा 2.37 हेक्टेयर उसके द्वारा दिनांक 23–4–2002 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है और विक्रय पत्र में विक्रेता ने इस बात का उल्लेख किया है कि उक्त भूमि में आने जाने के लिये रास्ता खसरा क्रमांक 304 की दक्षिणी मेढ से होते हुये पूर्व से पश्चिम दिशा 10 कड़ी का रास्ता अनोखी पिता आशाराम के खेत से खुला रहेगा । यह भी उल्लेख किया गया है कि इसका उपयोग आवेदक करता चला आ रहा है और अनावेदिका भी करेगी, परन्तु आवेदकगण द्वारा रास्ते पर निर्माण कार्य कर रास्ता बन्द कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही धारा 32 के अन्तर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने के लिये आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–13/2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 17 के अन्तर्गत संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 4–8–15 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष अंतरिम आदेश पारित कर के पूर्व ही संशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र पर बिना विचार किये रास्ता खुलवाने का आदेश देने में घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 का आवेदन पत्र निरस्त करने का कोई भी कारण तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है और उक्त संशोधन से प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । उनके द्वारा तहसीलदा का आदेश निरस्त कर उक्त आवेदन पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत आवेदन पत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिना कोई कारण बताये आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही की गई है, कारण तहसीलदार को सकारण आदेश पारित करना चाहिये था कि वह क्यों कर आवेदक गण का आवेदन पत्र निरस्त कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रस्तुत जबाव में संशोधन चाहा गया है, जिससे तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण प्रभावित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में संशोधन मान्य करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति होना परिलक्षित नहीं होता है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार को निर्देशित किया जाये कि वे आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदकगण को संशोधन की अनुमति प्रदान करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील हरसूद जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश 4–8–15 निरस्त किया जाकर उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.